भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2587

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946, (शक)

धुबरी में श्रमिक कल्याण योजनाएं

2587. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के धुबरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेषकर कृषि, चाय बागानों और निर्माण जैसे क्षेत्रों में कामगारों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट श्रमिक कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार धुबरी में विशेषकर कामगारों के अधिकारों, उचित मजदूरी, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित कर रही है और यदि हां, तो तात्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किसी भी उल्लंघन से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ग) सरकार द्वारा धुबरी में प्रवासी कामगारों और कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल, आवासन और कानूनी सहायता के संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या धुबरी में प्रवासी कामगारों और कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पंजीकृत किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने असम के धुबरी जिले समेत पूरे भारत में कृषि, चाय बागानों और संनिर्माण में लगे असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। ऐसी प्रमुख योजनाओं में स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), जीवन और दुर्घटना बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा पेंशन लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त,कामगारों को खाद्य सुरक्षा के लिए वन-नेशन-वन-राशन-कार्ड योजना, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी कौशल विकास पहलों से लाभ प्राप्त होता है। महात्मा गांधी एनआरईजीएस एक रोजगार योजना है।

इसके अलावा, बागान कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत भी कवर किया गया है। असम में चाय बागान कामगारों को असम चाय बागान भविष्य निधि योजना, 1955 के तहत कवर किया गया है। बागान श्रम अधिनियम को व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है।

चाय बागान कामगारों की कार्य स्थितियां बागान श्रम अधिनियम, 1951 द्वारा अधिनियमित होती हैं। अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और प्रसूति प्रसुविधा तथा अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। कार्यस्थलों पर और उसके आसपास काम करने वाले कामगारों और उनके बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता, कैंटीन, क्रेच और मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान है।

सरकार ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगारों के रोजगार और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 [बीओसीडब्ल्यू (आरईएंडसीएस) अधिनियम, 1996] अधिनियमित किया है। अधिनियम में उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों तथा उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक अन्य मामलों का प्रावधान किया गया है।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (नियोजन और सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1979 प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को रोजगार देने वाले कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ते, विस्थापन भत्ते, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षात्मक वस्त्र आदि का भुगतान प्रदान किया जाना आवश्यक होता है। इस अधिनियम को व्यवसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 में समाहित कर दिया गया है।

भारत के संविधान में श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कानून बनाने और श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सक्षम हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को प्रवासी कामगारों समेत असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। ई-श्रम पर स्व-घोषणा के आधार पर पंजीकरण किया जा सकता है। दिनांक 10.03.2025 तक की स्थिति अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों समेत 30.70 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार पंजीकृत हैं।

बजट घोषणा के अनुसार, ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" 21 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण/मैपिंग शामिल है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों समेत असंगठित कामगारों को ई-श्रम के माध्यम से 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और उनके द्वारा अब तक प्राप्त लाभों/सुविधायों को देखने में सक्षम बनाता है;- जिसमें पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), पीएमएवाई (शहरी और ग्रामीण), एनएसएपी - राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) शामिल हैं।

*****